21/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को सुनकर फैसला बाद स्थाई निषेधाज्ञा से पारित किया जाता है कि वो विवादित जायदाद को अंतरण व स्थापन्न रिकार्ड को यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] से नाम हो [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।